


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज रतनाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 91/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.06.23	<p>अपीलार्थी रतनाराम पुत्र उदाराम निवासी गांव रडोद, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2023 में उसके द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर में परित्यक्ता प्रमाण पत्र दिनांक 08.07.2020 क्र.न. 132 से संबंधित सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेष्यो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अबलोकन किया। रेष्यो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर <b>खिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</b></p>	